निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 18/2021 दावा
दायरा दिनांक 03.03.2021
निर्णय दिनांक :– 31.8.21

उनवान

1. प्रेमनारायण गालव पुत्र श्री देवकरण जाति ब्राहम्मण निवासी सोरखण्ड खुर्द तहसील अंता जिला बारां
2. हंसराज चौरसिया पुत्र श्री जानकी लाल जाति तंमोली निवासी कॉलेज रोड बारां तहसील बारां जिला बारां।
3. रतन देवी पत्नी रामस्वरूप जाति तेली निवासी अमीत मेडिकल स्टोर दीनदयाल पार्क बारां।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारा जिला बारां राज.

वाद अन्तर्गत धारा 110, 111, 116 एल.आर.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 31.8.21

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री राजेन्द्र सुमन – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 116 एल. आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि वाके ग्राम बारां मे आराजी खसरा नंबर 676 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नंबर 676 / 2212 रकबा 0.01 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.14 हेक्टर, व खाता प्रेमनारायण पुत्र देवकरण हिस्सा 1/4 पुश्पाबाई पत्नी चन्दालाल हिस्सा 1/4, रतन देवी पत्नी रामस्वरूप हिस्सा 1/4 हंसराज पुत्र जानकीलाल हिस्सा 1/4 स्थित है। उक्त वर्णित आराजी में से खातेदार पुश्पाबाई पत्नी चंदालाल ने अपना हिस्सा 1/4 जर्ये रजिस्टर विक्रय पत्र से शेष खातेदारान वादीगण 1 ता 3 के पक्ष में अन्तरित कर दिया है। इसलिए अब खातेदार पुष्पाबाई का उक्त वर्णित आराजी में हक हिस्सा शेष नही रहा। इसलिए इस वाद पत्र में खातेदार पुष्पाबाई को पक्षकार नही बनाया है। आराजी खसरा नंबर 676 रकबा पूर्व में 0.26 हेक्टेयर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज था, जिसमें से 0. 23 हेक्टर पश्चिमी आराजी को वादीगण द्वारा कि[illegible] [illegible]न करने हेतु कार्यवाही करने पर धारा 90 बी, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत [illegible] दिनांक 23.02.2010 मय

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:54 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

नक्शा भूमि रूपान्तरण उपजिला कलक्टर बारां द्वारा जारी किया गया था। उक्त आदेश दिनांक 23.02.2010 की पालना में खसरा नंबर 676 रकबा 0.26 हेक्टर मे से 0.13 हेक्टर पश्चिमी के नया खसरा नंबर 2252/676 कायम करते हुये आराजी के नक्शा ट्रेस मे प्रतिवादी द्वारा लाईन डिमार्केशन करते समय पूर्व मे पश्चिम लाईन गलत डाल दी गई है, जबकि उक्त आदेश के साथ संलग्न नक्शे के मुताबिक नक्शा ट्रेस मे सही लाईन उत्तर से दक्षिण डिमार्केशन करना चाहिये था, क्योकि वादीगण वर्तमान में आराजी खसरा नंबर 676 की 0.13 हेक्टर पूर्वी आराजी पर काबिज है। इसलिए न्यायहित मे नक्शा ट्रेस मे की गई तरमीम के समय पूर्व से पश्चिम लाईन डिमार्केशन की दुरस्ती करते हुये नक्शा ट्रेस मे की गई पूर्व से पश्चिमी लाईन को हटवाया जाकर वादीगण के खाते व कब्जे अनुसार खसरा नंबर 676 रकबा 0.13 हेक्टेयर पूर्वी आराजी को छोडते हुये उत्तर से दक्षिण लाईनिंग डिमार्केशन डालकर नक्शे मे तरमीम किया जाना न्यायाहित मे आवश्यक है। क्योंकि इसी अनुसार वादीगण मौके पर काबिज है। वादीगण द्वारा नक्शा दुरस्त करने हेतु प्रतिवादी व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों से निवेदन किया, किन्तु वादीगण के निवेदन पर कोई ध्यान नही दिया गया, तथा दिनांक 18.01.2021 को नक्शा दुरस्त करने से स्पष्ट मना कर दिया। इसलिए वाद कारण दिनांक 18.01.2021 को अन्तिम बार उत्पन्न हुआ, तथा वर्तमान मे भी पैदा हो रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 03.03.2021 को जवाब पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम बारां सम्वत् 2072-75 खाता संख्या 216, नकल नक्शा ट्रेस, नकल धारा 90 बी, राजस्थान भू अधिनियम 1956 के आदेश की प्रति, फोटो प्रति नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी ग्राम बारां सम्वत् 2072-75 खाता संख्या 216, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2032-2057, नकल जमाबन्दी ग्राम बारां सम्वत् 2061-2064, नकल बेनामा दिनांक 09.05. 2017, नकल दान पत्र दिनांक 09.05.2017, नकल बेनामा दिनांक 09.05.2017, नकल बेनामा 09. 05.2017 पेश की गई। साक्ष्य प्रार्थी में प्रेमनारायण, रतनदेवी, हंसराज के शपथ-पत्र पेश किये गये।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान बताया कि विवादित आराजी वाके ग्राम बारां में स्थित है। विवादित आराजीयात मे से 0.13 हेक्टेर भूमि का का वादी द्वारा किस्म परिवर्तन करवाया गया था, जिसका आदेश दिनांक 23.02.2010 मय नक्शा भूमि रूपान्तरण न्यायालय उपजिला कलक्टर बारां द्वारा धारा 90 बी का आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश की पालना में खसरा नंबर 676 रकबा 0.26 हेक्टेयर मे 0.13 हेक्टेयर पश्चिमी के नया खसरा नंबर 2252/676 कायम करते हुये आराजी के नक्शा ट्रेस मे पेरोकार सरकार द्वारा लाईन डिमार्केशन करते समय पूर्व से पश्चिम लाईन गलत डाल दी गई, जबकि आदेश मे संलग्न नक्शे के मुताबिक नक्शा ट्रेस मे सही लाईन उत्तर से दक्षिण डिमार्केशन करना चाहिये था। वादीगण 0.13 हेक्टर भूमि के पूर्व... वादीगण 0.13 हेक्टर भूमि के पूर्वी तरफ पर वादीगण काबिज है। नक्शा ट्रेस मे की गई तरमीम को पूर्व से पश्चिमी लाईन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:54 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

को हटाया जाकर वादीगण के खाते एवं कब्जे अनुसार खसरा नंबर 676 रकबा 0.13 हेक्टेयर पूर्वी आराजी को छोडते हुये उत्तर से दक्षिण लाईनिंग डिमार्केशन डालकर नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जावे।

बहस अभिभाशक प्राथीगण सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी वाके ग्राम बारां सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 216 के अनुसार प्रार्थीगण के 1/4, 1/4 एवं पुष्पाबाई पत्नी चंदालाल के हिस्सा 1/4 खाते दर्ज है। नकल निर्णय दिनांक 23.02.2010 अन्तर्गत धारा 90 बी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार खसरा नंबर 676 रकबा 0.26 हेक्टेयर मे से 0.13 हेक्टेयर भूमि का रूपान्तरण किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 216 के अनुसार वादीगण एवं पुश्पाबाई पत्नी चंदालाल जाति राठौर के भामलाती खातेदारी मे दर्ज है। नकल बेनामा जितेन्द्र कुमार पुत्र चंदालाल जाति तेली द्वारा खसरा नंबर अपने हिस्से 1/4 मे से 3811.5 वर्गफीट मे से 305 वर्गफीट भूमि का बेचान हसंराज पुत्र जानकीलाल जाति तमोली को किया गया। नकल दान पत्र दिनांक 09.05.2017 के अनुसार जितेन्द्र कुमार पुत्र चंदालाल जाति तेली द्वारा अपने हिस्से की आराजी 1/4 यानि 3811.5 वर्गफीट मे से 1311.5 वर्गफीट को प्रेमनारायण पुत्र देवकरण जाति ब्राहम्मण को दान पत्र किया जाना पाया जाता है। इससे यह साबित होता है, कि खातेदार पुश्पाबाई पत्नी चंदालाल के पुत्र जितेन्द्र कुमार द्वारा अपने हिस्सा 1/4 भूमि का बेचान वादीगण को किया गया है।

विवादित भूमि नगर परिशद बारां में स्थित है। विवादित भूमि नगर परिशद बारा मे स्थित होने के कारण आयुक्त नगर परिषद, बारां से अनावृति हेतु रिपोर्ट मंगवायी गयी। आयुक्त नगर परिशद बारां द्वारा अपनी रिपोर्ट मे बताया कि उक्त प्रकरण में तहसील स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जानी है। जिसमे नगर परिषद, बारां को कोई आपत्ति नही है। तहसीलदार बारां से उक्त विवादित आराजीयात से सम्बन्धित स्पष्ट रिपोर्ट ली गई, जिसमें तहसीलदार बारां द्वारा बताया कि खसरा नंबर 676 रकबा 0.13 हेक्टेयर खाता प्रेमनारायण पुत्र देवकरण जाति ब्राहम्मण हिस्सा 1/4 पुष्पाबाई पत्नी चंदालाल जाति तेली हिस्सा 1/4 हंसराज पुत्र जानकीलाल जाति तमोली हिस्सा 1/4 रतन देवी पत्नी रामस्वरूप जाति तेली हिस्सा 1/4 स्थित है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार पुष्पाबाई का हिस्सा 1/4 दर्ज है। खसरा नंबर 676 का पूर्व में रकबा 0.26 हेक्टयर दर्ज था, जिसमें से 0.13 हेक्टेयर पश्चिमी आराजी की 90 बी की कार्यवाही होकर नगर परिषद, बारां के खाते दर्ज रिकार्ड हो चुकी है, जिसका नया खसरा नंबर 2252/676 कायम किया गया है। नक्शा तरमीम करते समय आराजी में पूर्व से पश्चिम लाईन गलत डाल दी गई है, जो कि तरमीम उत्तर से दक्षिण करना चाहिये था, जो सही है। इसी अनुसार वादीगण मौके पर काबिज है। प्रार्थीगण द्वारा नक्शा दुरस्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसे दुरस्त किया जाना प्रस्तावित है। तहसीलदार बारां की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है, कि खसरा नंबर 676 के नये खसरा नंबर 2252/676 को नक्शा में तरमीम करते समय पूर्व से पश्चिम लाईन गलत डालकर तरमीम की गई है, जबकि उत्तर से दक्षिण लाईन डालकर तरमीम किया जाना चाहिये था। जिसे दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:54 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारॉ

Scanned with CamScanner

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की आराजी वाके ग्राम बारां के खसरा नंबर 676 रकबा 0.73 हेक्टेयर पूर्वी आराजी को छोडते हुये आदेश दिनांक 23.02.2010 की पालना में राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस मे तरमीम करते समय पूर्व से पश्चिमी अंकित गलत लाईन डिमार्केशन को हटाया जाकर उत्तर से दक्षिण लाईन डिमार्केशन किये जाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार बारां को पालना हेतु तहरीर जारी की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उप खण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner